MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 3rd April, 2019

G.S.R. 91.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Hindi Directorate (Director) Recruitment Rules, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Central Hindi Directorate, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Central Hindi Directorate (Director) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publications in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. .**— The method of recruitment of the said post, age-limit, educational qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification .**— No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Pubic Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1* (2019) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial	Level 13 (Rs. 123100-215900)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officer of the Central or State Government Union territories or Universities/recognised research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organizations (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-12 in the pay matrix in the Parent Cadre or Department; OR (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix in the Parent Cadre or Department; AND (b) Possessing the following Educational Qualification and Experience: **Essential.** (i)Masters degree in Hindi with Sanskrit as a subject at degree level. OR Masters degree in Linguistics with Hindi as a subject at Degree level; AND **Experience:** (i) Eight years experience in teaching or terminological lexicographical work taken together. (ii) Two years in Administration and Book Publication. **Desirable Qualification:** (1) Ph.D in Hindi or Sanskrit or Linguistics. (2) Research work in Hindi or Sanskrit as evidenced by the published works. (3) One year research work. **Note.**–Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[F.No. 4-1/2009-L-I]

SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.10 13:33:20 +05'30'

Note 2.-The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[No. A-12018/1/18-Estt.]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (निदेशक) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय हिन्दी निदे ालय में निदे ाक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदे ा द्वारा ि ाथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य वि ोश प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदे ाक	1 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिविय	स्तर –13 (123100–215900 / –रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की द ा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति ातता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की द ा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।); केन्द्रीय या राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या वि वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्व ासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृ ा पद धारण किए हुए है; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर –12 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के प चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के प चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो आव यक : (i) हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री सहित डिग्री स्तर पर संस्कृत विशय। या भाशा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री सहित डिग्री स्तर पर हिन्दी विशय; और अनुभव: (ii) परिभाशिक भाब्दावली या ि ाक्षण कार्य में दोनों को मिलाकर आठ वर्शों का अनुभव। (iii) प्र ासन और पुस्तक प्रका ान में दो वर्श। वांछनीय अर्हताएं; (1) हिन्दी या संस्कृत या भाशा विज्ञान में पी.एच.डी.। (2) हिन्दी या संस्कृत में अनुसंधान कार्य जो प्रकाि ात कार्य द्वारा साक्ष्यित हो। (3) एक वर्श का अनुसंधान कार्य। टिप्पण :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्श से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्श से अधिक नहीं होगी।	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग से पराम ि करना आव यक है।

[फा. सं. 4–1/2009–एल–1]

संजय कुमार सिन्हा,संयुक्त सचिव